प्र.सं. 2/2021 मांगीलाल व अन्य बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुराबड़ में आराजी नंबर 385 से 396, 464, 465, 484 से 487 कुल किता 18 रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/2, 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काश्त एवं उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का अभी मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में जबरन हस्तक्षेप करते हैं। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, अवैध निर्माण नहीं करें, जे. सी.बी. से खुदाई नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री भीमराज डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पहली पेशी पर ही केवल अन्तरिम निषेधाज्ञा देने के बजाय जल्दबाजी में प्रकरण का पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय किया जावे। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2020 को प्रकरण दर्ज किया जाकर कोविड–19 के कारण न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया एवं प्रकरण में दिनांक 20.10.2020 की पेशी नियत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रथम पेशी पर ही अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण का पूर्ण निस्तारण करते हुए अंतिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 60/2020 निर्णय दिनांक 20.10.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.09.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested